

भारत सरकार
प्रेस सूचना ब्यूरो
प्रेस नोट

दिनांक : 17 जनवरी, 2020

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1 से 8 दिसंबर, 2019 तक आयोजित भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय वन सेवा परीक्षा-2019 (समूह 'क') के अंतर्गत चयन के लिए व्यक्तित्व परीक्षण हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।

2. इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, इनके सभी प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यक्षीन अनंतिम है। उम्मीदवारों को उनके व्यक्तित्व परीक्षण के समय, आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, समुदाय, ईडब्ल्यूएस, बेंचमार्क विकलांगता के अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज, जैसे यात्रा भत्ता प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग /बेंचमार्क विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्रों के प्रपत्र तथा यात्रा भत्ता फार्म आदि को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./बेंचमार्क विकलांगजन/पूर्व-सैन्य कर्मियों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः, सिविल सेवा(प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 के माध्यम से भारतीय वन सेवा परीक्षा-2019 हेतु आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तारीख अर्थात् 19.03.2019 से पहले जारी हुए होने चाहिए। **ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण/रियायत का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवार आय एवं परिसंपत्ति का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें और यह प्रमाण-पत्र दिनांक 01.08.2019 से पहले जारी हुआ होना चाहिए।**

3. इन उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) **फरवरी माह, 2020 से** आयोजित किए जाने की संभावना है। व्यक्तित्व परीक्षण, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के कार्यालय में आयोजित होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार, व्यक्तित्व परीक्षण का ई-समन पत्र **24 जनवरी, 2020** आयोग की वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in> तथा <http://www.upsonline.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु ई-समन पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो, वे आयोग कार्यालय से पत्र द्वारा या **टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23381125, 011-23098543 या फैक्स नं. 011-23387310, 011-23384472** पर या ई-मेल (skindo-upsc@gov.in) के माध्यम से तत्काल संपर्क करें। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार हेतु कोई कागजी समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4. सामान्यतः, उम्मीदवारों को सूचित की गई व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख तथा समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को, सार्वजनिक प्रकटन योजना के अंतर्गत अपने अंकों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने (ऑप्ट इन) या नहीं करने (ऑप्ट आउट) में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 39020/1/2016-स्था.(ख) दिनांक 21.06.2016, 19.07.2017 तथा **“पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटन के प्रयोजन से उन उम्मीदवारों के अंकों की घोषणा, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुशंसित नहीं किया गया है”** संबंधी आयोग के नोट का अवलोकन करें। उम्मीदवार यह नोट कर लें कि ऑप्ट इन/ऑप्ट आउट का विकल्प प्रस्तुत किए बिना वे अपना ई-समन पत्र डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।

6. विस्तृत आवेदन पत्र-II(डीएफ-II) के संदर्भ में भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा-2019 की नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

I. भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा-2019 के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को, डीएफ-II के माध्यम से जोन(जोनों)/राज्य(राज्यों) संवर्ग के लिए अपना वरीयता क्रम प्रदान करना होगा। डीएफ-II, आयोग की वेबसाइट पर 21/01/2020 से 28/01/2020 (सायं 6.00 बजे) तक उपलब्ध रहेगा।

II. एक बार चुन ली गई और सब्मिट कर दी गई वरीयताओं को बाद में संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जोनों और उनके अंतर्गत संवर्गों के संबंध में अपनी वरीयताएं भरते समय पर्याप्त सावधानी बरतें। किसी उम्मीदवार द्वारा जोनों के संबंध में एक बार प्रदान की गई वरीयताओं में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई उम्मीदवार, निर्धारित अंतिम तारीख/समय तक डीएफ-II के को सब्मिट करने में विफल रहता है, तो यह मान लिया जाएगा कि जोनों और संवर्गों के संबंध में उसे कोई वरीयता प्रदान नहीं करनी है और इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

III. डीएफ-II में पहले प्रदान की गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करने के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां कहीं आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनके पते/ संपर्क संबंधी विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, इस प्रेस नोट के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर पत्र, ई-मेल (skindo-upsc@gov.in) अथवा ऊपर दर्शाए गए नंबरों पर फैंक्स द्वारा आयोग को सूचना तत्काल भेजी जाए।

7. अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के नाम तथा अनुक्रमांक संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अर्हक हुए उम्मीदवारों को वह फोटो आईडी अपने साथ लाना होगा, जिसका उल्लेख उन्होंने डीएएफ-॥ में किया है।

8. जिन उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त नहीं की है, उनके अंक-पत्र अंतिम परिणाम (व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बाद) प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे तथा वेबसाइट पर 30 दिनों तक उपलब्ध रहेंगे।

INDIAN FOREST SERVICE (MAIN) EXAMINATION,2019

0103776	0110512	0211865	0301315	0305291	0305662	0305808	0308320	0310344
0311130	0311530	0314153	0322470	0326343	0328478	0331997	0337888	0338741
0341419	0405090	0425542	0504630	0515047	0519692	0520956	0701914	0709586
0801516	0805418	0806474	0807540	0812481	0813890	0817437	0819142	0819391
0821863	0823637	0826444	0828389	0830127	0831995	0832401	0832725	0833281
0834368	0836217	0836397	0836410	0838486	0838508	0838579	0838843	0839368
0841593	0842204	0843016	0849358	0849679	0853575	0855702	0857023	0857467
0858415	0859221	0859382	0861923	0862487	0863129	0864169	0866491	0866852
0867503	0868669	0869360	0869490	0871324	0872626	0872777	0873098	0873848
0883931	0884918	0886170	0886684	0887320	1008610	1019760	1029462	1033633
1046337	1102550	1107047	1109791	1110711	1111894	1114623	1118221	1119593
1123952	1125965	1135512	1141209	1142732	1200399	1200976	1201487	1202345
1202732	1208967	1209545	1215025	1215543	1216026	1216365	1219009	1222117
1223367	1223938	1224534	1229862	1230278	1302395	1304082	1306687	1541058
1904553	1905877	1905881	1906683	1908553	1913868	1913974	2001582	2204755
2207442	2405882	2605484	2606395	2616231	2629211	3406276	3504245	3510274
3512124	3522943	3535267	3542584	3601577	3800164	3904502	4107170	4127942
4901845	5000515	5201864	5202935	5203625	5600818	5602081	5606124	5800181
5809811	5812192	5813738	5818071	5917839	5918415	6202990	6206775	6300461
6300802	6300952	6303050	6304833	6305222	6306755	6307824	6310737	6315194
6315828	6315977	6316068	6318301	6319110	6319469	6319555	6400963	6403059
6408074	6409180	6410049	6410506	6411196	6411412	6412666	6416480	6417053
6500302	6603977	6605259	6608165	6611347	6611354	6612554	6616750	6618781
6629721	6630203	6701670	7008595	7300960	7902014	7915900	8200903	

CONCLUDED

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NEW DELHI - 110 069 - 17th January, 2020 / 27 Pausha, Saka 1941.